बिहार सरकार,

ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं0- 172234
(ग्रा0वि01/स्था0(प्रशिक्षण)-42/2013

पटना, दिनांक:- 26.12.13

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास पदाधिकारी सेवा के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-167414 दिनांक-25.10.2013 एवं अधिसूचना संख्या-169066 दिनांक-22.11.2013 द्वारा कुल 522 अभ्यर्थियों को वेतनमान 9300-34800 (पे बैंड-2) + ग्रेड वेतन रू0 4200/- में परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) के रूप में औपबन्धिक रूप से नियुक्त करते हुए जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया गया है। नव नियुक्त परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी के वेतनादि के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

1. नव नियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान (विकलन) गैर योजना बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड-एन.2515001020001 एवं मांग संख्या-42) से किया जाएगा।
2. इनके वेतनादि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त होगें, जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।
3. चूँकि इनका वेतनमान 9300-34800 (पे बैंड-2) + ग्रेड वेतन 4200/- रूपये निर्धारित है, अतः ये अराजपत्रित श्रेणी के कर्मी हैं इसलिए इनका वेतन पुर्जा वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग से निर्गत करने की आवश्यकता नही है।
4. इनके वेतन भुगतान के लिए प्रथमतः PRAN (Permanent Retirement Account No.) नं0 आवंटित किए जाएगें। इस निमित्त संबंधित पदाधिकारी अपना खाता बैंक में खुलवाकर PRAN संबंधी आवेदन विहित प्रपत्र में संबंधित उप विकास आयुक्त के कार्यालय में जमा करेगें एवं उप विकास आयुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों को PRAN नम्बर आवंटन हेतु संबंधित प्राधिकार को भेजा जाएगा एवं PRAN नंबर आवंटित कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
5. PRAN नम्बर आवंटन के पश्चात् संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इनके वेतनादि निकासी कर इनके खाता में जमा करायी जाएगी।
6. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इन सारे परिक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी की सेवा पुस्तिका वेतन भुगतान के पूर्व खुलवाना सुनिश्चित करेगें।

26.12.13
(मिथिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 172234/पटना, दिनांक:- 26.12.13

प्रतिलिपि:- महालेखाकर, बिहार, पटना एवं वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.12.13
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 172234 /पटना, दिनांक:- 26.12.13

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त से अनुरोध है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

26.12.13

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 172234 /पटना, दिनांक:- 26.12.13

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.12.13

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 172234 /पटना, दिनांक:- 26.12.13

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.12.13

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 172234 /पटना, दिनांक:- 26.12.13

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास बिभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाए ।

26.12.13

सरकार के अपर सचिव।